उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड, उज्जैन

उज्जैन जिले की ग्राम पंचायतों में चयनित स्थलों पर वार्षिक प्रीमियम आधारित व्यवसाय मॉडल के तहत विज्ञापन बोर्डों की स्थापना एवं 10 वर्षों तक संचालन, रखरखाव हेतु ऑनलाइन निविदा

ई - निविदा क्रमांक : - 2026_UAD_538240_1

NIT No. USCL/456 दिनांक: 24/09/2026

कार्यालय, उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड

मेला कार्यालय, कोठी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश - 456010

NIT No. USCL/456 **दिनांक: 24/09/2026**

<u>निविदा आमंत्रण सूचना</u>

उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड (USCL) **द्वारा उज्जैन जिले की ग्राम पंचायतों में चयनित स्थलों पर वार्षिक प्रीमियम आधारित व्यवसाय मॉडल के तहत विज्ञापन बोर्डों की स्थापना एवं 10 वर्षों तक संचालन**, **रखरखाव हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित है**

ई - निविदा क्रमांक : - 2026_UAD_538240_1

समय सारणी :-

क्रमांक	**विवरण**	**दिनांक एवं समय**
1.	ऑनलाइन निविदा पंजीयन प्रारंभ करने का दिनांक एवं समय	24-09-2026
2.	ऑनलाइन निविदा ऑफर प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक एवं समय (तकनीकी और वित्तीय बोली जमा करने की अंतिम तिथि)	15-10-2026, 17:00 pm
3.	निविदा खुलने का दिनांक एवं समय	16-10-2026, 17:00 pm
4.	निविदा का ऑनलाइन वित्तीय प्रस्ताव निविदा प्रपत्रों का तकनीकी मूल्यांकन होने पश्चात खोला जाएगा| जिसकी सूचना एस एम एस / ईमेल के माध्यम से दी जावेगी	सूचित किया जाएगा
5.	निविदा की वैधता अवधि	जमा करने की अंतिम तिथि के 120 दिन बाद

नोट: प्रमुख तिथियों में किसी मामले में, ई-पोर्टल पर दिखाई देने वाली प्रमुख तिथियां अंतिम होंगी। अधिक जानकारी के लिए, कृपया ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट: **<u>www.mptenders.gov.in</u>** देखें। शुद्धिपत्र या संशोधन, यदि कोई हो, केवल इस वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

कार्यकारी निदेशक
उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड

प्रस्तावित ग्राम पंचायत / स्थल:

ग्राम पंचायत आलमपुरा

ग्राम पंचायत पंथपिपलई

ग्राम पंचायत रामवासा

ग्राम पंचायत निनोरा

ग्राम पंचायत नावाखेडा

ग्राम पंचायत ढेडिया

सभी स्थल सम्बंधित ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रत्येक स्थल का अंतिम निर्धारण कार्यादेश के समय किया जाएगा।

विज्ञापन बोर्ड का आकार एवं प्रकार

संबंधित ग्राम पंचायतों में स्थल की उपलब्धता, सड़क की चौड़ाई, यातायात, दृश्यता, सुरक्षा एवं अन्य स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर विज्ञापन बोर्ड निम्नलिखित अनुमत आकारों में स्थापित किए जा सकेंगे

क्र.	**अनुमत विज्ञापन बोर्ड का आकार**	**प्रति फेस क्षेत्रफल**	**अनुमत प्रकार**
1	20 **फीट** × 10 **फीट**	200 **वर्गफुट**	**एक-पक्षीय / द्वि-पक्षीय**
2	30 **फीट** × 15 **फीट**	450 **वर्गफुट**	**एक-पक्षीय / द्वि-पक्षीय**
3	40 **फीट** × 20 **फीट**	800 **वर्गफुट**	**एक-पक्षीय / द्वि-पक्षीय**

नोट:

(i) किसी स्थल पर विज्ञापन बोर्ड का वास्तविक आकार एवं एक-पक्षीय अथवा द्वि-पक्षीय स्वरूप संबंधित ग्राम पंचायत/सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थल की उपयुक्तता के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। निविदादाता को निर्धारित स्थल पर स्वीकृत आकार एवं प्रकार के अनुसार ही विज्ञापन बोर्ड स्थापित करना होगा।

(ii) किसी विशेष ग्राम पंचायत अथवा स्थल पर उपर्युक्त सभी आकार उपलब्ध कराना अनिवार्य नहीं होगा। संबंधित ग्राम पंचायत/सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थल की उपयुक्तता के आधार पर अनुमत आकार, संख्या एवं एक-पक्षीय/द्वि-पक्षीय विन्यास निर्धारित किया जाएगा।

(iii) द्वि-पक्षीय विज्ञापन बोर्ड के मामले में दोनों फेस का विज्ञापन क्षेत्रफल प्रभार्य क्षेत्रफल में सम्मिलित किया जाएगा।

<u>ऑफर आमंत्रण निविदा प्रपत्र</u>

उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड (**USCL**) द्वारा उज्जैन जिले की ग्राम पंचायतों में चयनित स्थलों पर वार्षिक प्रीमियम आधारित व्यवसाय मॉडल के तहत विज्ञापन बोर्डों की स्थापना एवं 10 वर्षों तक संचालन, रखरखाव हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित है|निविदा आमंत्रित की जाती है।

स्थान: आलमपुरा, पंथपिपलई, रामवासा, निनोरा, नावाखेडा एवम् ढेडिया ग्राम पंचायत क्षेत्र, जिला उज्जैन

उक्त निविदा के लिये इच्छुक व्यक्ति / संस्था / साझेदारी फर्म / कंपनी या कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति / संस्था / फ्रेंचाईजी से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

सामान्य विवरण निम्नानुसार है:-

विवरण -	**उज्जैन जिले की ग्राम पंचायतों में चयनित स्थलों पर वार्षिक प्रीमियम आधारित व्यवसाय मॉडल के तहत विज्ञापन बोर्डों की स्थापना एवं 10 वर्षों तक संचालन, रखरखाव**
अमानत राशि -	**₹ 1,00,000/-**
टेण्डर डाक्यूमेंट की लागत -	**₹ 10,000/-**

टेण्डर डाक्यूमेंट क्रय करने एवं बिड प्रस्तुत करने की दिनांक ई-टेण्डरिंग पोर्टल www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है। पोर्टल में उल्लेखित दिनांक अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

निविदा ऑफर प्रस्तुतीकरण -

ऑनलाईन बिड प्रस्तुत करने के लिये आवश्यक निर्देश

ऑनलाईन बिड करने हेतु ई-टेण्डर पोर्टल "Online bidder Enrollment" पर जाकर लॉगिन एवं पासवर्ड लिया जाना होगा, इस हेतु आवेदक का आयकर पेन कार्ड आवश्यक है एवं ऑनलाईन बिड प्रस्तुत करने हेतु डिजीटल सिगनेचर क्लास-3 साईनिंग की आवश्यकता होगी।

'अनुसूची-2' अनुसार ऑनलाईन ऑफर प्रस्तुत किया जावे। किसी अन्य ऑफर पर विचार नहीं किया जावेगा। सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

ऑफर प्रस्तुत करने के पूर्व निविदा प्रपत्र, प्रक्रिया, विनिर्देशों, नियमों और शर्तों का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया जावे, अन्यथा बाद में किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा / ऑफर प्रस्तुत करने वाले निविदादाता के संबंध में यह माना जावेगा कि उनके द्वारा समस्त नियमों एवं शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है।

यह ऑफर ऑनलाईन दो लिफाफा पद्धति पर आधारित है।

पात्रता शर्त - अनुभव (Eligibility Condition - Experience)

1. निविदादाता/आवेदक के पास सार्वजनिक स्थानों पर आउटडोर विज्ञापन माध्यमों, जैसे बिलबोर्ड और डिजिटल डिस्प्ले के ज़रिए उत्पादों, सेवाओं या ब्रांडों का प्रचार करने का अनुभव हो।
2. बिलबोर्ड/डिजिटल डिस्प्ले **संचालन का न्यूनतम 01 (एक) वर्ष का अनुभव** होना अनिवार्य है, जो **पिछले 03 (तीन) वर्षों** के भीतर (निविदा प्रकाशन तिथि से) का हो।
3. निविदादाता/आवेदक का विगत **03 (तीन) वर्षों** के भीतर किसी एक वर्ष का वित्तीय टर्नओवर न्यूनतम **रू 12.00 लाख** हो।

इस संबंध में आवेदक को अनुभव प्रमाण के रूप में निम्नलिखित में से कोई एक/एकाधिक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा:

- कार्यादेश / अनुबंध की प्रति, अथवा
- संबंधित प्राधिकरण/संस्था द्वारा जारी अनुभव प्रमाण-पत्र, अथवा
- जीएसटी पंजीयन, ट्रेड लाइसेंस, बिक्री बिल/इनवॉइस अथवा अन्य वैध दस्तावेज, जिससे उक्त अवधि में समान प्रकृति के व्यवसाय के संचालन का प्रमाण प्राप्त हो।

उपरोक्त अनुभव प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवेदक को **अयोग्य (Disqualified)** माना जाएगा तथा उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्रथम लिफाफा "ए" जिसमें निम्न दस्तावेज ऑनलाईन सम्बद्ध करें:-

1. अमानत राशि ऑनलाईन ई-पेमेंट के माध्यम से जमा की पावती की स्केन प्रति।

2. व्यक्तिगत होने पर आवेदक का आधार कार्ड व पेन कार्ड की स्केन प्रति। संस्था/कंपनी होने पर Valid पंजीयन की स्केन प्रति।

3. पात्रता शर्त - अनुभव से सम्बंधित दस्तावेज की प्रमाणित प्रति।

4. निर्धारित आवेदन प्रारूप ''अनुसूची -1'' में पूर्ति उपरान्त स्केन प्रति।

द्वितीय लिफाफा "बी" में ऑफर बिड प्रस्तुत की जावे। ऑफर बिड राशि पूर्व निर्धारित न्यूनतम आरक्षित वार्षिक प्रीमियम (Minimum Reserve Premium) **से अधिक होनी चाहिए**।

लिफाफे 'ए' में वांछित समस्त दस्तावेज ऑनलाईन ही स्वीकार किये जावेंगे। पृथक से व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक से भेजे गये दस्तावेज मान्य नहीं होंगे।

ऑफर बिड अर्थात लिफाफा 'बी' ऑनलाईन ही प्रस्तुत किया जावे। निर्धारित प्रारूप अंतर्गत ऑनलाईन ऑफर प्रस्तुत की जावे। लिफाफा 'ए' में ऑफर के संबंध में कुछ भी उल्लेख नहीं किया जावे अन्यथा टेण्डर निरस्त कर दिया जावेगा।

सर्वप्रथम लिफाफा ''ए'' खोला जावेगा। अपेक्षित रूप में अमानत राशि, पात्रता शर्त - अनुभव से सम्बंधित दस्तावेज एवं अन्य दस्तावेज पाये जाने पर उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड (USCL) अथवा सम्बंधित ग्राम पंचायत, द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के विश्लेषण पश्चात् पात्र व्यक्ति / संस्था / फर्म / कंपनी का लिफाफा ''बी'' खोला जावेगा। प्राप्त दस्तावेज और वित्तीय ऑफर के मूल्यांकन के आधार चयन किया जावेगा।

अमानत राशि की वापसी -

यथा स्थिति ई-निविदा खोले जाने के पश्चात् उच्चतम निविदादाता की जमा प्रतिभूति निक्षेप (अमानत) राशि को छोड़कर शेष सभी निविदादाताओं की प्रतिभूति निक्षेप (अमानत) राशि वापस दी जावेगी। ऐसी जमा अमानत राशि पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।

पात्रता योग्यता -

निविदादाता (ऑफरदाता) से निविदा प्रपत्र में उल्लिखित समस्त शर्तों / मानदण्डों को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। शर्तों / मानदण्डों को पूरा करने के लिए या इन शर्तों / मानदण्डों के समर्थन के लिये अपेक्षित प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहने वाले निविदादाता (ऑफरदाता) को पूर्व मूल्यांकन के दौरान खारिज किया जा सकता है। इस संबंध में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

निरर्हता (डिसक्वालिफिकेशन) -

उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड (USCL) एवं सचिव**,** सम्बंधित ग्राम पंचायत, अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदादाता (ऑफरदाता) को ऑफर के मूल्यांकन के दौरान या किसी भी समय अयोग्य घोषित कर सकता है यदि **-**

निविदादाता (ऑफरदाता) द्वारा वांछित पात्रता दस्तावेज की पूर्ति में भ्रामक या झूठा अभ्यावेदन / दस्तावेज प्रस्तुत किया हो।

विवाद समाधान प्रक्रिया -

इस निविदा प्रपत्र की संरचना एवं व्याख्या भारतीय कानून द्वारा शासित है। इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी विवादो का न्याय क्षेत्र उज्जैन/इंदौर रहेगा।

टेण्डर की सामान्य शर्ते

1. संबंधित से आशा की जाती है कि वे टेण्डर डाक्यूमेन्ट में लिखित शर्तो का गहन अध्ययन के पश्चात ही ऑफर प्रस्तुत करे।

2. निविदा (ऑफर) प्रस्तुत करने वाले के संबंध में यह माना जावेगा कि उनके द्वारा टेण्डर की समस्त शर्तों का अध्ययन कर समझ लिया गया है।

3. टेण्डर (ऑफर) प्रस्तुत करने के पश्चात निविदादाता (ऑफरदाता) की कोई भी आपत्ति आदि पर विचार नहीं किया जावेगा।

टेंडर की विशेष शर्ते

उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड (USCL) द्वारा **उज्जैन जिले की ग्राम पंचायतों में चयनित स्थलों पर वार्षिक प्रीमियम आधारित व्यवसाय मॉडल के तहत विज्ञापन बोर्डों की स्थापना एवं 10 वर्षों तक संचालन**, **रखरखाव हेतु ऑनलाइन निविदा** निम्नलिखित शर्तो पर आमंत्रित की जाती है:-

1. ई-निविदा के साथ प्रतिभूति निक्षेप (अमानत राशि) ऑनलाईन जमा की जाना होगी।

2. यथा स्थिति ई-निविदा खोले जाने के पश्चात् उच्चतम निविदादाता की जमा प्रतिभूति निक्षेप (अमानत) राशि को छोड़कर शेष सभी निविदादाताओं की प्रतिभूति निक्षेप (अमानत) राशि वापस दी जावेगी। राशि ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से निविदादाता द्वारा निर्धारित किये गये बैंक खाते में वापस होगी।

3. निविदादाता व्यक्तिगत होने की स्थिति में आवेदक के आधार कार्ड की स्वच्छ छायाप्रति एवं निविदादाता संस्था हो तो ऐसी स्थिति में संस्था का Valid पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4. **प्रभार्य विज्ञापन क्षेत्रफल (Chargeable Advertisement Display Area)** से आशय विज्ञापन बोर्ड के प्रत्येक विज्ञापन प्रदर्शित करने वाले फेस के वास्तविक स्वीकृत क्षेत्रफल से होगा। एक-पक्षीय विज्ञापन बोर्ड के मामले में एक फेस का क्षेत्रफल तथा द्वि-पक्षीय विज्ञापन बोर्ड के मामले में दोनों विज्ञापन फेस का संयुक्त क्षेत्रफल प्रभार्य विज्ञापन क्षेत्रफल माना जाएगा। फ्रेम, पोल, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, फाउंडेशन अथवा अन्य संरचनात्मक भाग का क्षेत्रफल प्रभार्य विज्ञापन क्षेत्रफल में सम्मिलित नहीं होगा।

5. निविदादाता को विज्ञापन बोर्डों के **प्रभार्य विज्ञापन क्षेत्रफल के प्रति वर्गफुट प्रति वर्ष (₹/Sq.ft./Year)** के आधार पर एक समान यूनिट प्रीमियम दर (Unit Premium Rate) का वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। निविदादाता द्वारा प्रस्तुत यूनिट प्रीमियम दर निर्धारित **न्यूनतम आरक्षित यूनिट प्रीमियम दर** से कम नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम आरक्षित यूनिट प्रीमियम दर से कम यूनिट दर का वित्तीय प्रस्ताव स्वतः निरस्त माना जाएगा।

6. **वार्षिक देय प्रीमियम की गणना:**

प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए वार्षिक देय प्रीमियम = **निविदादाता द्वारा उद्धृत यूनिट प्रीमियम दर (₹/वर्गफुट/वर्ष) × संबंधित ग्राम पंचायत में स्थापित एवं स्वीकृत विज्ञापन बोर्डों का कुल प्रभार्य विज्ञापन क्षेत्रफल (वर्गफुट)।**

तथापि, किसी भी ग्राम पंचायत के लिए देय वार्षिक प्रीमियम उस ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित **न्यूनतम आरक्षित वार्षिक प्रीमियम** से कम नहीं होगा।

7. उच्चतम यूनिट प्रीमियम दर (₹ प्रति वर्गफुट प्रति वर्ष) उद्धृत करने वाले पात्र निविदादाता को H1 घोषित किया जाएगा। यह यूनिट प्रीमियम दर सभी संबंधित ग्राम पंचायतों में स्वीकृत एवं स्थापित विज्ञापन बोर्डों के कुल प्रभार्य विज्ञापन क्षेत्रफल पर लागू होगी, तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम से कम राशि देय नहीं होगी।।

8. सफल निविदादाता द्वारा प्रत्येक संबंधित ग्राम पंचायत के लिए देय प्रथम वर्ष का वार्षिक प्रीमियम, स्वीकृत विज्ञापन बोर्डों की संख्या, आकार एवं एक-पक्षीय/द्वि-पक्षीय विन्यास के आधार पर निर्धारित प्रभार्य विज्ञापन क्षेत्रफल तथा स्वीकृत यूनिट प्रीमियम दर के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। तथापि, किसी भी ग्राम पंचायत के लिए देय वार्षिक प्रीमियम उस ग्राम पंचायत हेतु निर्धारित न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम से कम नहीं होगा। निर्धारित वार्षिक प्रीमियम अनुबंध की शर्तो के अनुसार अग्रिम रूप से जमा करना होगा।

9. वार्षिक प्रीमियम की देयता संबंधित विज्ञापन बोर्डों के लिए साइट हस्तांतरण एवं स्वीकृत विज्ञापन क्षेत्रफल के निर्धारण के पश्चात प्रारंभ होगी। प्रथम वर्ष का वार्षिक प्रीमियम, साइट/बोर्ड इन्वेंटरी के अंतिम अनुमोदन के पश्चात निर्धारित समयावधि में अग्रिम रूप से देय होगा।"सफल निविदादाता द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित वार्षिक प्रीमियम, स्वीकृत प्रभार्य विज्ञापन क्षेत्रफल तथा निविदादाता द्वारा उद्धृत यूनिट प्रीमियम दर के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत का वार्षिक प्रीमियम संबंधित वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अग्रिम रूप से देय होगा।

10. स्वीकृत निविदादाता को 15 दिवस की अवधि में विज्ञापन बोर्ड हेतु प्रस्तावित स्थल का विधिवत कब्जा प्राप्त करना होगा।

11. अनुबंधकर्ता को कार्यादेश जारी होने के 90 दिनों के भीतर कम से कम 50% तथा 180 दिनों के भीतर 100% विज्ञापन बोर्ड स्थापित करना अनिवार्य होगा। सभी स्थलों का संयुक्त संचालन करना होगा। यह निविदा सभी उल्लिखित ग्राम पंचायतों के लिए एकल पैकेज के रूप में है। सफल निविदादाता को सभी ग्राम पंचायतों में स्वीकृत विज्ञापन स्थलों का संचालन करना होगा। किसी एक या अधिक ग्राम पंचायत के कार्य को पृथक रूप से स्वीकार/त्याग करने की अनुमति नहीं होगी।

12. किसी भी ई-निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड (USCL) अथवा सम्बंधित ग्राम पंचायत अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा एवं उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड (USCL) अथवा सम्बंधित ग्राम पंचायत अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम निविदा स्वीकृत करने के लिये बाध्य नहीं होगा।

13. निविदादाता द्वारा उद्धृत एवं स्वीकृत यूनिट प्रीमियम दर में प्रत्येक आगामी अनुबंध वर्ष में 5% की वृद्धि होगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए देय वार्षिक प्रीमियम उक्त संशोधित यूनिट

दर × वास्तविक प्रभार्य विज्ञापन क्षेत्रफल अथवा उस ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित संशोधित न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम, जो अधिक हो, के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। उक्त राशि प्रतिवर्ष अग्रिम जमा कराया जाना अनिवार्य होगा जिसपर तत्समय प्रचलित दर अनुसार जी.एस.टी. पृथक से देना होगा। वार्षिक प्रीमियम राशि विलम्ब से जमा किये जाने की स्थिति में 12 प्रतिशत ब्याज वसूल किया जावेगा।

14. स्थापित विज्ञापन बोर्ड के प्रभार्य क्षेत्रफल का अंतिम निर्धारण संबंधित ग्राम पंचायत/USCL द्वारा स्वीकृत ड्राइंग, साइट माप एवं बोर्ड के वास्तविक स्थापित आकार के आधार पर किया जाएगा। यदि स्थापित बोर्ड का आकार स्वीकृत आकार से अधिक पाया जाता है, तो वास्तविक विज्ञापन प्रदर्शन क्षेत्रफल के आधार पर अतिरिक्त प्रीमियम देय होगा। स्वीकृत आकार से अधिक क्षेत्रफल का उपयोग सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। यदि किसी कारणवश स्वीकृत विज्ञापन क्षेत्रफल में कमी होती है, तो देय प्रीमियम वास्तविक स्वीकृत प्रभार्य क्षेत्रफल के आधार पर होगा, परंतु संबंधित ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम से कम नहीं होगा।

15. अनुबंध की अवधि **10 वर्ष** की होगी जिसे उभय पक्ष की सहमति अनुसार आगामी **5** वर्ष के लिये नवीनीकृत किया जा सकेगा। अनुबंध दिनांक से ही वार्षिक प्रीमियम राशि देय का प्रारंभ माना जावेगा।

16. सम्बंधित ग्राम पंचायत में प्रस्तावित विज्ञापन स्थल पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जरी “Madhya Pradesh Outdoor Advertisement Media Rules - 2016” का पालन करना आवश्यक होगा।

17. निविदा/अनुबंध से संबंधित प्रशासनिक निर्णयों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय, लागू विधि एवं संविदात्मक प्रावधानों के अधीन होगा। किसी विवाद की स्थिति में सक्षम न्यायालय का क्षेत्राधिकार उज्जैन रहेगा।

18. निविदादाता को अनुबंध में उल्लेखित शर्तो तथा ऐसी अन्य सभी शर्तो को जो समय-समय पर तत्समय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आरोपित की जावे, मान्य होगी।

19. प्रस्तावित विज्ञापन स्थल वर्तमान में जिस स्थिति में है उसी स्थिति में आवंटित की जावेगी।

20. स्थल का स्वामित्व सम्बंधित विभाग / संस्था का रहेगा।

21. निविदादाता को sublet करने का अधिकार नहीं होगा।

22. प्रस्तावित विज्ञापन बोर्ड/स्थल के संचालन में **धार्मिक मर्यादा, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक सुविधा, स्वच्छता, सुरक्षा एवं सौंदर्यात्मक एकरूपता** के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत द्वारा विशिष्ट/ प्रतिबंधात्मक शर्तें लागू होंगी।

उल्लंघन की स्थिति में प्रथम बार ₹5,000, द्वितीय बार ₹10,000 का दंड तथा पुनरावृत्ति पर अनुबांध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकेगी

22.1 Do’s (अनिवार्य पालन योग्य निर्देश)

(i) प्रस्तावित स्थल का संचालन केवल विज्ञापन उद्देश्य से ही किया जाएगा।

(ii) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृत डिजाइन, आकार, स्थान एवं एक-पक्षीय/द्वि-पक्षीय विन्यास के अनुसार ही विज्ञापन बोर्ड स्थापित किया जाएगा। अनुमत बोर्ड आकार 20×10 फीट, 30×15 फीट एवं 40×20 फीट होंगे। सभी संरचनाएँ IS 875 (Wind Load) एवं अन्य प्रचलित सुरक्षा मानकों के अनुरूप तथा सक्षम संरचनात्मक अभियंता द्वारा प्रमाणित होंगी।

(iii) स्थल पर स्वच्छता, कचरा प्रबंधन एवं साफ-सफाई की पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी।

(iv) विज्ञापन बोर्डों के प्रकाश (Illumination) हेतु आवश्यक विद्युत कनेक्शन प्राप्त करना, विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करना तथा उससे संबंधित समस्त व्यय जैसे कनेक्शन शुल्क, सुरक्षा जमा, मीटर स्थापना, विद्युत बिल, रखरखाव एवं अन्य सभी देयताओं का वहन करना पूर्णतः अनुबंधकर्ता/निविदादाता की जिम्मेदारी होगी। इस संबंध में उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड (USCL) / ग्राम पंचायत / प्राधिकृत संस्था पर कोई भी वित्तीय अथवा वैधानिक दायित्व नहीं होगा।

(v) सभी कर, शुल्क, जीएसटी, बिजली-पानी बिल आदि का भुगतान समय पर किया जाएगा।

(vi) सुरक्षा एवं अन्य वैधानिक मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(vii) समस्त प्रकार की आवश्यक वैधानिक लाइसेंस/अनुमतियाँ अनुबंधकर्ता द्वारा प्राप्त की जाएँगी।

22.2 Don’ts (निषिद्ध निर्देश)

(i) विज्ञापन बोर्ड की **स्थायी संरचना में कोई परिवर्तन** बिना अनुमति नहीं किया जाएगा।

(ii) सबलेटिंग संचालन की अनुमति नहीं होगी।

(iii) निर्धारित क्षेत्र से बाहर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण प्रतिबंधित रहेगा।

(iv) ध्वनि प्रदूषण, लाउडस्पीकर, प्रचारात्मक उद्घोषणा की अनुमति नहीं होगी।

(v) धार्मिक/सांस्कृतिक गरिमा के विपरीत कोई विज्ञापन नहीं किया जाएगा।

22.3 अन्य शर्तें

(i) अनुबंध अवधि 10 वर्ष की होगी, अनुबंध तिथि से प्रभावी।

(ii) अनुबंधकर्ता को प्रत्येक विज्ञापन अनुबंध का विवरण ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करना होगा तथा आवश्यकता होने पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराना होगा।

(iii) प्रत्येक विज्ञापन बोर्ड के कुल उपलब्ध विज्ञापन समय का अधिकतम 10% समय ग्राम पंचायत/सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त शासकीय/सार्वजनिक हित संदेशों के प्रदर्शन हेतु निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त प्रीमियम देय नहीं होगा।।

(iv) वार्षिक प्रीमियम राशि नियमानुसार देय होगा, विलंब पर दंडात्मक ब्याज लागू होगा।

(v) किसी भी सार्वजनिक हित, सुरक्षा या प्रशासनिक आवश्यकता में सक्षम प्राधिकारी को उचित सूचना देकर अनुबंध निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

(vi) विवाद की स्थिति में **न्याय क्षेत्र - उज्जैन/इंदौर** होगा।

23. प्रस्तावित स्थल पर लगने वाले विज्ञापन का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदाय की जाएगी।

24. निर्धारित क्षेत्र के बाहर के स्थान का किसी भी प्रकार से कोई भी उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। अगर अनुबंधकर्ता द्वारा उक्त स्थान का अन्य उपयोग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जमा राशि राजसात कर बेदखली की कार्यवाही की जा सकेगी।

25. अनुबंधकर्ता को विज्ञापन बोर्ड की स्थायी संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन / परिवर्धन बिना सक्षम स्वीकृति के नहीं किया जा सकेगा|

26. यदि दो या दो से अधिक पात्र निविदादाताओं द्वारा समान उच्चतम यूनिट प्रीमियम दर (₹/Sq.ft./Year) उद्धृत की जाती है, तो ऐसी स्थिति में ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल/प्रचलित निविदा प्रक्रिया के अनुसार टाई-ब्रेकिंग की कार्यवाही की जाएगी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अंतिम एवं बाध्यकारी होगी।

27. यदि आवंटित स्थल पर किसी प्राकृतिक आपदा या दंगाग्रस्त भीड़ या अन्य किसी दुर्घटना जो मानव नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण क्षति होती है तो इस प्रकार की क्षति को अनुबंधकर्ता को ही वहन करना होगा।

28. अनुबंधकर्ता किसी ऐसी गतिविधि का क्रियान्वयन नहीं करेगा, जो विधि के अनुसार अनुज्ञेय नहीं है और आस-पास के रहवासी अथवा आमजन की शांति तथा सुरक्षा को प्रभावित करती हो।

29. अनुबंधकर्ता की मृत्यु की दिशा में उसके वैध उत्तराधिकारी के पक्ष में तत्समय प्रचलित नियमों के प्रावधान अनुसार किया जा सकेगा।

30. अनुबंध में अंकित शर्तों का पालन न करने की स्थिति में 30 दिवस का सूचना पत्र दिया जाकर प्राप्त जवाब समाधानकारक नहीं होने की स्थिति में अनुबंध समाप्त कर स्थल पर कब्जा प्राप्त करने का अधिकार तत्समय के प्राधिकृत अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

31. अनुबंधकर्ता प्रस्तावित स्थल पर वार्षिक प्रीमियम आधारित व्यवसाय मॉडल के तहत विज्ञापन बोर्ड की स्थापना एवं 10 वर्षों तक रखरखाव के संचालन के समय किसी भी अपरिहार्य कारणों (किसी योजना अंतर्गत, कॉम्पलेक्स के नव निर्माण होने, लोकहित में, (सम्बंधित ग्राम पंचायत / तत्समय संस्था को आवश्यकता होने पर इत्यादि) तत्समय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 01 माह की पूर्व सूचना देकर अनुबंध निरस्त किया जाता है, तो ऐसी स्थिति अनुबंधकर्ता को किसी भी प्रकार की आपत्ति या क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा परन्तु ऐसी स्थिति में निरस्ती दिनांक से वार्षिक प्रीमियम की शेष अवधि की अनुपातिक राशि बिना ब्याज के वापसी योग्य होगी। साथ ही म. प्र. शासन के आदेश या अन्य किसी भी वैधानिक कारण से यदि आवंटित स्थल को को रिक्त कराना आवश्यक हो तो उस परिस्थिति में जिला कलेक्टर उज्जैन अथवा तत्समय के प्राधिकृत अधिकारी स्थल रिक्त कराने का अधिकार प्राप्त होगा तथा उसमें अनुबंधकर्ता को कोई भी आपत्ति करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा परन्तु ऐसी स्थिति में निरस्ती दिनांक से वार्षिक प्रीमियम की शेष अवधि की अनुपातिक राशि बिना ब्याज के वापसी योग्य होगी।

32. अनुबंधकर्ता पर प्रस्थापना (टेंडर) की समस्त शर्ते बंधनकारी रहेंगी।

कार्यकारी निदेशक
उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड

अनुसूची-1

(आवेदन पत्र)

व्यक्तिगत होने की दशा में नवीनतम रंगीन फोटो

प्रति,
कार्यकारी निदेशक
उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड उज्जैन (म.प्र.)

महोदय,

निवेदन है कि मैं उज्जैन जिले की ग्राम पंचायतों में चयनित स्थलों पर वार्षिक प्रीमियम आधारित व्यवसाय मॉडल के तहत विज्ञापन बोर्डों की स्थापना एवं 10 वर्षों तक संचालन, रखरखाव हेतु ऑनलाइन निविदा हेतु हेतु, उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित शर्तो के अधीन कार्य लेने का इच्छुक हूँ।

इस संबंध में निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत है:-

1. आवेदक / संस्था का पूरा नाम ....

2. माता/पिता/पति/पत्नी का नाम ....

3. संस्था का रजिस्ट्रेशन क्रमांक ....

4. आवेदक /संस्था का स्थाई पता ....
....

5. पत्र व्यवहार का पता ....
....

6. आवेदक / संस्था का वाट्सअप मोबाईल नं ....

7. आवेदक / संस्था का ई-मेल आईडी ....

8. पात्रता शर्त - अनुभव से सम्बंधित दस्तावेज. .... (संलग्न)

9. आवेदक / संस्था उज्जैन जिले की ग्राम पंचायतों में चयनित/ प्रस्तावित स्थलों पर विज्ञापन बोर्ड की स्थापना एवं 10 वर्षो तक संचालन कैसे करेगा**?** (स्पष्ट उल्लेखित करे)

....
....
....

आवेदक के हस्ताक्षर

....

(घोषणा)

1. मैं सत्य निष्ठा से घोषणा करता / करती हूं कि उपर्युक्त जानकारी सत्य है।

2. मैंने उज्जैन जिले की ग्राम पंचायतों में चयनित स्थलों पर वार्षिक प्रीमियम आधारित व्यवसाय मॉडल के तहत विज्ञापन बोर्डों की स्थापना एवं 10 वर्षों तक संचालन, रखरखाव **हेतु** उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित द्वारा निर्धारित शर्तो शर्तो को अच्छी तरह से पढ़कर समझ लिया है। मैं शर्तो का पूर्णतः पालन करूंगा/करूंगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थानः

दिनांकः

आवेदक (घोषणाकर्ता)

अनुसूची-2

ऑफर बिड

(A) निविदादाता द्वारा निम्नलिखित यूनिट प्रीमियम दर उद्धृत की जाएगी:

विवरण	न्यूनतम आरक्षित दर (प्रति वर्गफुट प्रति वर्ष)	निविदादाता द्वारा उद्धृत दर (प्रति वर्गफुट प्रति वर्ष)
प्रति वर्गफुट प्रभार्य विज्ञापन क्षेत्रफल हेतु वार्षिक प्रीमियम	₹40/-	₹____

(B) ग्राम पंचायत-वार न्यूनतम प्रतिबद्धता

ग्राम पंचायत-वार न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम संबंधित ग्राम पंचायत में संभावित विज्ञापन क्षेत्रफल, अनुमत विज्ञापन बोर्डों के आकार एवं संख्या, स्थल की दृश्यता, यातायात/व्यावसायिक संभाव्यता तथा अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

क्र.	ग्राम पंचायत	न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम
1	आलमपुरा	₹ 2,00,000/-
2	पंथपिपलई	₹ 2,00,000/-
3	रामवासा	₹ 2,00,000/-
4	निनोरा	₹ 2,00,000/-
5	नावाखेड़ा	₹ 2,00,000/-
6	ढेडिया	₹ 2,00,000/-

नोट:

1. **वित्तीय बोली में निविदादाता द्वारा केवल ₹ प्रति वर्गफुट प्रति वर्ष (₹/Sq.ft./Year) की एक यूनिट प्रीमियम दर उद्धृत की जाएगी।**
2. **उद्धृत यूनिट दर न्यूनतम आरक्षित यूनिट दर से कम होने पर वित्तीय बोली स्वतः निरस्त होगी।**
3. **प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम से कम वार्षिक राशि किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी।**
4. **संबंधित ग्राम पंचायत को देय वास्तविक वार्षिक प्रीमियम = निविदादाता द्वारा उद्धृत एवं स्वीकृत यूनिट प्रीमियम दर × वास्तविक स्वीकृत प्रभार्य विज्ञापन क्षेत्रफल, अथवा संबंधित ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम, जो अधिक हो, होगा।**

5. **द्वि-पक्षीय विज्ञापन बोर्ड के दोनों विज्ञापन फेस का क्षेत्रफल प्रभार्य क्षेत्रफल में शामिल किया जाएगा।**
6. **उच्चतम वैध यूनिट प्रीमियम दर (₹/Sq.ft./Year) उद्धृत करने वाला निविदादाता** H1 **होगा|**